

स्वास्थ्य विभाग
बिहार सरकार

प्रेषक,

संजय कुमार, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी –सह— अध्यक्ष
सभी सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषय: नियमित टीकाकरण –सह— वी.एच.एस.एन.डी. कार्य के संबंध में ।
संदर्भ: कार्यालय पत्रांक: 02 दिनांक 01.04.2020

पटना, दिनांक: 30/04/2020

महाशया/महाशय,

राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए संदर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक किये गए Lockdown आदेश के आलोक में दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक नियमित टीकाकरण कार्यक्रम –सह— वी.एच.एस.एन.डी के वाहय सत्रों (Outreach session sites) को स्थगित किया गया था।

2. ज्ञात हो कि COVID -19 के संक्रमण के दौरान टीकाकरण से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकारेधक बीमारियों (Vaccine Preventable Disease - VPD) से बचाने के लिए टीकाकरण आवश्यक सेवाओं में से एक है। टीकाकरण से वंचित लाभार्थियों के बढ़ते Cohort में VPD के संक्रमण बढ़ने की आशंका बनी रहती है एवं ऐसी परिस्थिति में तत्काल टीकाकरण कार्य करने की आवश्यकता है।

3. नियमित स्वास्थ्य सेवाओं को चलाये जाने हेतु दिये गए उच्चस्तरीय निर्णय एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक: 14.04.2020 के साथ संलग्न दिशा निर्देश (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार नियमित टीकाकरण कार्य स्थायी सत्रों पर COVID 19 के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक यथा: व्यक्तिगत दूरी (**Physical distancing**), हाथ धोने एवं श्वसन संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यथावत् संचालित किया जाये।

4. **वाहय सत्रों (Outreach session sites)** पर टीकाकरण –सह— वी.एच.एस.एन.डी. कार्य स्थानीय स्तर पर COVID 19 से संक्रमित Containment Zone को छोड़कर अन्य सभी सत्र स्थलों पर भारत सरकार से समय – समय पर प्राप्त दिशा – निर्देश एवं प्रस्तुतीकरण में निहित (छायाप्रति संलग्न) दिशा निर्देश के अनुसार के अनुसार राज्य के सभी जिलों में प्रारम्भ कराया जाय।

- **Hot Spot District / Red Zone** – इस जोन में पड़ने वाले जिलों में Containment एवं Buffer Zone को छोड़कर शेष सभी सत्र स्थलों पर टीकाकरण कराना है।
- **Non Hot Spot District / Orange Zone** - Containment zone को छोड़कर अन्य सत्र स्थलों पर टीकाकरण कराना है।
- **Non Infected District / Green Zone** – सभी सत्र स्थलों पर टीकाकरण कराना है।

5. जिला स्तर पर नियमित टीकाकरण का कार्य Containment Zone को छोड़कर कराने हेतु सभी संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों / अन्य कर्मियों / लाभार्थियों को COVID 19 के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक यथा: सभी स्तर पर व्यक्तिगत दूरी (**Physical distancing**) अर्थात् कम से कम छः फीट/2 मीटर की दूरी , मुँह को ढककर रखने, हाथ धोने एवं श्वसन संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निम्न सावधानियाँ अपनाई जाए –

- प्रत्येक कोल्ड चेन प्वाईट को पर्याप्त संख्या में मास्क, गल्ब्स, हैंड सैनेटाईजर/साबुन उपलब्ध कराया जाय।
- कोल्ड चेन हैण्डलर द्वारा वैक्सिन वितरण के पूर्व अच्छी तरह सैनिटाईजर अथवा साबुन से हाथ साफ कर लिया जाय।
- सभी संबंधित कर्मी द्वारा कार्य के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क एवं गल्ब्स का उपयोग किया जाये।
- प्रत्येक टीकाकरण सत्र के पूर्व सभी लक्षित लाभार्थियों को टीकाकरण सत्र स्थल तथा समय की सूचना आशा /अन्य उत्प्रेरक द्वारा दी जाय एवं लाभार्थियों को एक तय समय सारणी के अनुसार सत्र स्थल पर आने हेतु सूचित किया जाय ताकि किसी भी परिस्थिति में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र न होने पाय। इसके साथ ही सत्र स्थल पर निश्चित दूरी पर घेरा का प्रतीक चिन्ह बनाकर प्रतीक्षा हेतु लाभार्थियों को रखा जाय।
- आशा/अन्य मोबलाईजर द्वारा विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाय कि लाभार्थी के साथ केवल एक ही व्यक्ति (माता अथवा पिता अथवा अभिभावक) आयें।
- आशा/अन्य मोबलाईजर द्वारा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि यदि किसी लाभार्थी अथवा उसके अभिभावक को बुखार, सर्दी – खांसी के लक्षण पाये जाते हैं तो उस लाभार्थी को टीकाकरण के लिए नहीं बुलाया जाय तथा ऐसे लक्षण वाले लाभार्थी अथवा उसके अभिभावक का अलग से सूची तैयार कर टीकाकर्मी के माध्यम से संबंधित स्वास्थ्य संस्थान को सूचित किया जाय एवं उक्त लक्षण वाले व्यक्ति की COVID 19 संक्रमण से संबंधित समुचित जांच की व्यवस्था कराई जाय।
- प्रत्येक लाभार्थी के बीच दो मीटर की दूरी बनाये रखना सुनिश्चित किया जाय।
- लाभार्थी एवं लाभार्थी को लेकर आने वाले परिवार के सदस्य भी निश्चित रूप से अपने मुँह एवं नाक को कपड़े/मास्क से ढककर आये।
- टीकाकर्मी द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को टीका देने के पूर्व गल्ब्स सहित अपने हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाईजर /साबुन से धो लें।
- टीकाकर्मी टीकाकरण के समय मास्क एवं गल्ब्स लगाकर ही कार्य करेंगे।
- टीकाकर्मी द्वारा Safe Injection Practices का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- टीकाकर्मी द्वारा सभी लाभार्थियों को Corona से बचाव संबंधित जानकारी से अवगत कराया जाय। 

टीकाकरण के पश्चात् –

- सत्र स्थल पर टीकाकरण जनित कचरे का निस्तारण Central Pollution Control Board के नियमानुसार किया जाय।
- सत्र पर कोई वॉयल Contaminated अर्थात् वैकिसन वॉयल के गिर जाने/किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके सेप्टम को Touch कर दिया हो आदि तो उस वैकिसन वॉयल को नियमानुसार निस्तारित (Discard) कर दिया जाय एवं किसी भी परिस्थिति में उसे अन्य बचे हुए वैकिसन के साथ न रखा जाय।
- सत्र समाप्ति के पश्चात् टीकाकर्मी गल्ब्स को निकालकर साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें।
- वैकिसन कैरियर को सत्र से आने के उपरांत सामान्य पानी से धोने के बाद हाइपोक्लोराईट घोल से धोने के पश्चात् ही पुनः उपयोग में लाया जाय।

6. टीकाकरण कार्य में लगे सभी कर्मियों को COVID – 19 संक्रमण के दौरान टीकाकरण हेतु प्रशिक्षित किया जाय, जिसके लिए व्यक्तिगत दूरी का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

7. टीके /वैकिसन की उपलब्धता के लिए eVIN का उपयोग कर वैसे वैकिसन जिसकी अवसाद तिथि नजदीक हो उसका उपयोग पहले किया जाय एवं आवश्यकतानुसार इसका हस्तांतरण एक कोल्डचेन प्वाइंट से दूसरे प्वाइंट पर किया जाय।

8. टीकाकरण का कार्य Containment Zone, जैसा कि कंडिका 4 में उल्लेखित है, संचालित नहीं किया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र को विहित प्रक्रियानुसार De-Notify होने के पश्चात् ही उपरोक्त निदेश का अनुपालन करते हुए टीकाकरण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

9. COVID – 19 संक्रमण को देखते हुए सभी सत्र स्थलों पर आवश्यक सुरक्षात्मक दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु सभी स्तर पर सहायक पर्यवेक्षण कराते हुए, यदि किसी सत्र स्थल से टीकाकर्मी/आशा/अन्य मोबालाईजर द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराई जाती है तो COVID – 19 की जांच हेतु पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच एवं ईलाज हेतु यथोचित कार्रवाई की जाय।

10. अतः निर्देशित है कि उपरोक्त दिशा निदेश के आलोक में टीकाकरण कार्य कराया जाय एवं टीकाकरण कराये जाने की सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन

230/10/2020
(संजय कुमार)

प्रतिलिपि

मुख्य सचिव, बिहार सरकार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
 अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
 माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
 माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
 अपर कार्यपालक निदेशक, रा.स्वा.स. बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
 सभी प्रमंडलीय आयुक्त को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
 निदेशक, आई.सी.डी.एस. को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग हेतु प्रेषित।
 एडवाईजर, भारत सरकार (प्रति.), भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
 उप आयुक्त (प्रतिरक्षण), भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
 सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक (स्वा.से.) कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 सभी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रशासी पदाधिकारी –सह– प्रभारी आई.ई.सी. रा.स्वा.स. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (एन.यू.एच.एम. एवं एन.एच.एम.) को सूचनार्थ प्रेषित।
 सभी उप – सचिव/अपर निदेशक/उप निदेशक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, रा.स्वा. स.
 बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
 राज्य प्रतिनिधि: डब्ल्यू.एच.ओ.(एन.पी.एस.पी.), यू.एन.डी.पी., केयर, पाथ, एवं यूनिसेफ को
 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/04/2020
 प्रधान सचिव,
 स्वास्थ्य विभाग